BSES

बिजली चोरों की संपत्ति की कुर्की–जब्ती के आदेश

स्पेशल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

- पांच उपभोक्ताओं की संपत्ति की कुर्की–जब्ती के आदेश दिए गए
- कुर्की की भनक लगते ही दो उपभोक्ताओं ने किया जुर्माने की रकम का भुगतान

नई दिल्लीः 14 जून, 2011। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए, स्पेशल कोर्ट ने पांच बिजली चोरों की संपत्ति की कुर्की–जब्ती के आदेश दिए हैं। यह पहला मौका है, जब बिजली चोरों के खिलाफ कोर्ट का इतना कड़ा फैसला आया है। अब दिल्ली पुलिस किसी भी वक्त इनकी संपत्ति की कुर्की– जब्ती कर सकती है।

इन पांचों लोगों ने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटि व बीएसईएस द्वारा आयोजित लोक अदालतों में अपने बिजली चोरी मामलों का निपटारा करवाया था। उनकी सहूलियत के लिए उन्हें किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई थी। लेकिन एक–दो किस्तें देकर, उन्होंने जुर्माने की रकम का भुगतान बंद कर दिया। फिर, बीएसईएस ने इस बारे में अदालत को सूचित किया, और आरोपियों की संपत्ति की कुर्की–जब्ती का आदेश जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने बीएसईएस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, इन पांच उपभोक्ताओं की संपत्तियों की कुर्की– जब्ती के आदेश दे दिए। इन उपभोक्ताओं द्वारा जुर्माने का भुगतान न किया जाना, अदालत की अवमानना भी है।

बिजली की स्पेशल कोर्ट ने करोल बाग निवासी सुनील, सीताराम बाजार निवासी हसीना बेगम, सदर बाजार निवासी लईक बब्बू, दरियागंज निवासी इरफान और सिरकी वालां निवासी नरगिस की संपत्तियों की कुर्की–जब्ती के आदेश दिए। लेकिन, कुर्की–जब्ती के आदेश की भनक लगते ही पांच में से दो उपभोक्ताओं ने जुर्माने की रकम का पूरा भुगतान कर दिया है। करोल बाग निवासी सुनील और सीताराम बाजार निवासी हसीना बेगम ने जुर्माने की रकम का भुगतान कर कंपनी से अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लिया है।

मध्य और पूर्वी दिल्ली में ऐसे 584 उपभोक्ताआ हैं, जिन्होंने लोक अदालतों में अपना मामला निपटाने के बाद भी जुर्माने की रकम का पूरा भुगतान नहीं किया है। दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में ऐसे 412 उपभोक्ता हैं। अब बीएसईएस विस्तार से इन मामलों के बारे में स्पेशल कोर्ट को बताने जा रही है।

इस बीच, बीएसईएस ने जुर्माने की रकम का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कहा है कि वे अविलंब भुगतान करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उल्लेखनीय है कि जेल जाने से बचने के लिए इन उपभोक्ताओं ने लोक अदालतों में अपने मामलों का निपटारा करवाकर, जुर्माना देने का विकल्प चुना था। उनकी सहूलियत के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पूरा भुगतान नहीं किया। यह अदालत की अवमानना है। बीएसईएस अब अदालत के समक्ष इस पूरे प्रकरण को उठाने जा रही है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने मूल्यवान उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समय बचाएं, ईंधन बचाएं, पैसे बचाएं – **www.bsesdelhi.com** पर लॉगऑन करें

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंः प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 3999415 / 9350130304